कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
बिरसा मुंण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक/...834.../स्था./एम.सी./2022 — शहडोल, दिनांक 04/05/2022

//विज्ञप्ति सूचना//

1// मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2-15/2022/1/55 भोपाल, दिनांक 04.03.2022 के परिपालन में बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के आधीन प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, एवं सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लिए आवेदन पत्र **दिनांक 31-05-2022 दिन-मंगलवार, सायं 05:00 बजे तक** आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट gmcshahdol.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

2// आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चाँपा शहडोल (म.प्र.) पिन 484001 में जमा कराये जा सकते हैं।

3// आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में "शैक्षणिक संवर्ग हेतु" आवेदन एवं विषय .... तथा आवेदित पद का नाम ....और अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी................का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

4// अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र में से पात्र अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
बिरसा मुंण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक/..834..../स्था./एम.सी./2022 **शहडोल, दिनांक 04/05/2022**

//विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2-15/2022/1/55 भोपाल, दिनांक 04.03.2022 के परिपालन में बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन निम्नलिखित विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम की जानी है। जिस हेतु **निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 31-05-2022 दिन-मंगलवार, सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते है।** रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विभाग	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	EMERGENCY MEDICINE	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
2	P.M.R. (PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	TOTAL	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	GRAND TOTAL	02				02				02			

1. शैक्षणिक अर्हतायें :-

1. इमरजेंसी मेडिसिन (EMERGENCY MEDICINE)

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
1	2	3
प्राध्यापक	1. सामान्य चिकित्सा 2. एनेस्थिसिया 3. श्वसन चिकित्सा 4. सामान्य सर्जरी 5. हड्डी रोग उक्त संबंधित विषय में - एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. **अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई 2009** **इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।**	I. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित विषयों में तीन साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। II. उस स्पेशयलिटी में समर्पित सेवा के साथ शिक्षण संस्थान/उत्कृष्ठता केन्द्र में ब्रॉण्ड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। III. कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चालिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेन्ट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]। IV. चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। V. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।

सह प्राध्यापक	1. सामान्य चिकित्सा 2. एनेस्थिसिया 3. श्वसन चिकित्सा 4. सामान्य सर्जरी 5. हड्डी रोग उक्त संबंधित विषय में - एम.डी./ एम.एस./डी.एन.बी. **<u>अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई 2009</u>** **<u>इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।</u>**	**I.** किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित विषयों में चार साल के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में। **II.** उस स्पेशयलिटी में समर्पित सेवा के साथ शिक्षण संस्थान/ उत्कृष्ठता केन्द्र में ब्रॉण्ड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। **III.** कम से कम चार शोध प्रकाशन चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेन्ट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]। **IV.** एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संथानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। **V.** एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
सहायक प्राध्यापक	1. सामान्य चिकित्सा 2. एनेस्थिसिया 3. श्वसन चिकित्सा 4. सामान्य सर्जरी 5. हड्डी रोग उक्त संबंधित विषय में - एम.डी./ एम.एस./डी.एन.बी. **<u>अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई 2009</u>** **<u>इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।</u>**	उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्ठता केन्द्र में ब्रॉण्ड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण

2 . पी.एम.आर. (PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION)

पदनाम	**शैक्षणिक योग्यता**	**शिक्षण और अनुसंधान अनुभव**
1	2	3
प्राध्यापक	**1.** मेडिसिन के साथ पीएमआर में डिप्लोमा **2.** सामान्य सर्जरी **3.** हड्डी रोग उक्त संबंधित विषय में - एम.डी./ एम.एस./डी.एन.बी. **<u>अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई 2009</u>** **<u>इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।</u>**	**I.** किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित विषयों में तीन साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। **II.** उस स्पेशयलिटी में समर्पित सेवा के साथ शिक्षण संस्थान/ उत्कृष्ठता केन्द्र में ब्रॉण्ड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। **III.** कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चालिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेन्ट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]। **IV.** चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। **V.** एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।

सह प्राध्यापक	1. मेडिसिन के साथ पीएमआर में डिप्लोमा 2. सामान्य सर्जरी 3. हड्डी रोग उक्त संबंधित विषय में - एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. **अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई 2009** **इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।**	I. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित विषयों में चार साल के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में। II. उस स्पेशयलिटी में समर्पित सेवा के साथ शिक्षण संस्थान/उत्कृष्ठता केन्द्र में ब्रॉण्ड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। III. कम से कम चार शोध प्रकाशन चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेन्ट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]। IV. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संथानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। V. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
सहायक प्राध्यापक	1. मेडिसिन के साथ पीएमआर में डिप्लोमा 2. सामान्य सर्जरी 3. हड्डी रोग उक्त संबंधित विषय में - एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. **अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई 2009** **इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।**	उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्ठता केन्द्र में ब्रॉण्ड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण

2. आयु सीमा एवं वेतनमान :-

स.क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	अकादमिक स्तर - 14, मैट्रिक्स वेतन- 1,44,200/- (6वें वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड-पे 10000 + डी.ए. के अनुरूप)
2	सह प्राध्यापक	30 वर्ष	अकादमिक स्तर - 13 A, मैट्रिक्स वेतन- 1,31,400/- (6वें वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड-पे 9000 + डी.ए. के अनुरूप)
3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	अकादमिक स्तर - 11, मैट्रिक्स वेतन- 68,900/- (6वें वेतनमान 15600-39100+ ग्रेड-पे 7000 + डी.ए. के अनुरूप)

टीप :- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाले तिथि के पश्चात आने वाले 1 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रः- आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. आर्हतायें:-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

5. निरर्हतायें:-

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुष्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
4. **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा -** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिएं से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

5. **विवाह संबंधी:-** जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर
7. **कदाचरण संबंधी:-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसमें शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो। यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
9. **स्वास्थ्य संबंधी:-** चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।
10. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत् व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद के विरूद्व आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लेना होगा।
11. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौपें गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
12. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिए आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
13. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस वावत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशिमहाविद्यालय को चुकानी होगी।
14. म.प्र. शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
15. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:-** आवेदन पत्र **दिनांक 31-05-2022 दिन-मंगलवार, सायं 05:00 बजे तक** कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा शहडोल (म0प्र0) पिन:- 484001 में प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करायें जा सकते हैं। किसी भी स्थिती में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की gmcshahdol.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप:- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्व पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)